



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-02022026-269769
CG-OR-E-02022026-269769

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437]

नई दिल्ली, सोमवार, फ़रवरी 2, 2026/ माघ 13, 1947

No. 437]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2026/MAGHA 13, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे(निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 2 फ़रवरी, 2026

(रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत सूचना)

का.आ. 466(अ).रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989(24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले में “वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर विजयनगरम (वीजेडएम) – कोरुकोंडा (केयूके) के बीच किमी 821/9-11 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-463 को बंद करने के बदले में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा(1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) संयुक्त कलेक्टर (जेसी)/ विजिनागरम को वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर विजयनगरम (वीजेडएम) – कोरुकोंडा (केयूके) के बीच किमी. 821/9-11 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-463 को बंद करने के बदले में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी,

आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20D की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले में “वाल्तेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर विजयनगरम (वीजेडएम) – कोस्कॉडा (केयूके) के बीच किमी 821/9-11 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-463 को बंद करने के बदले में रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक1) यहां संलग्न है।

जिले का नाम और राज्य – विजयनगरम, आंध्र प्रदेश।

(अनुलग्नक1)

क्र.सं	गांव का नाम	सर्वेक्षण संख्या / एलपीएम नं	एफसीओ खातों के अनुसार कुल क्षेत्रफल	अधिग्रहित क्षेत्र (एकड़ में)	एफसीओ के अनुसार वर्गीकरण	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	वंतितादि अग्रहारम	21-1	0.56	0.074	आर. गीला	निजी भूमि
2	वंतितादि अग्रहारम	21-5	0.20	0.076	आर. गीला	निजी भूमि
3	वंतितादि अग्रहारम	21-6	0.31	0.041	आर. गीला	निजी भूमि
4	वंतितादि अग्रहारम	21-7	0.18	0.042	आर. गीला	निजी भूमि
5	वंतितादि अग्रहारम	21-8	0.30	0.081	आर. गीला	निजी भूमि
6	वंतितादि अग्रहारम	21-26	0.44	0.074	आर. गीला	निजी भूमि
7	वंतितादि अग्रहारम	21-29	0.06	0.048	आर. गीला	निजी भूमि
8	वंतितादि अग्रहारम	21-30	0.11	0.035	आर. गीला	निजी भूमि
9	वंतितादि अग्रहारम	21-31	0.44	0.080	आर. गीला	निजी भूमि
10	वंतितादि अग्रहारम	22-6	0.57	0.073	आर. गीला	निजी भूमि
11	वंतितादि अग्रहारम	22-9	0.50	0.067	आर. गीला	निजी भूमि
12	वंतितादि अग्रहारम	23-13	0.27	0.014	आर. गीला	निजी भूमि
13	वंतितादि अग्रहारम	23-14	0.63	0.022	आर. गीला	निजी भूमि
14	वंतितादि अग्रहारम	23-15	0.27	0.023	आर. गीला	निजी भूमि
15	वंतितादि अग्रहारम	27-1	0.39	0.379	आर. गीला	निजी भूमि
16	वंतितादि अग्रहारम	27-2	0.09	0.075	आर. गीला	निजी भूमि
17	वंतितादि अग्रहारम	27-3	0.28	0.126	आर. गीला	निजी भूमि
18	वंतितादि अग्रहारम	27-4	0.42	0.072	आर. गीला	निजी भूमि

19	वंतितादि अग्रहारम	27-6	0.27	0.072	आर. गीला	निजी भूमि
20	वंतितादि अग्रहारम	27-7	0.22	0.025	आर. गीला	निजी भूमि
21	वंतितादि अग्रहारम	26-9	0.15	0.072	आर. गीला	निजी भूमि
22	वंतितादि अग्रहारम	27-10	0.35	0.207	आर. गीला	निजी भूमि
23	वंतितादि अग्रहारम	42	3.10	0.238	एस.पोराम्बोके	सरकारी भूमि
24	वंतितादि अग्रहारम	43-1	0.47	0.508	एस.पोराम्बोके	सरकारी भूमि
25	वंतितादि अग्रहारम	43-2	0.61	0.036	आर. गीला	निजी भूमि
26	वंतितादि अग्रहारम	43-4	0.18	0.041	आर. गीला	निजी भूमि
27	वंतितादि अग्रहारम	43-5	0.50	0.074	आर. गीला	निजी भूमि
28	वंतितादि अग्रहारम	43-8	0.09	0.063	आर. गीला	निजी भूमि
29	वंतितादि अग्रहारम	43-9	0.43	0.092	आर. गीला	निजी भूमि
30	वंतितादि अग्रहारम	45-1	0.80	0.665	एस.पोराम्बोके	सरकारी भूमि
31	वंतितादि अग्रहारम	45-2	0.20	0.069	आर. गीला	निजी भूमि
32	वंतितादि अग्रहारम	45-7	0.19	0.104	आर. गीला	सरकारी भूमि
33	वंतितादि अग्रहारम	45-11	0.30	0.207	आर. गीला	निजी भूमि
34	वंतितादि अग्रहारम	47	2.08	0.398	एस.पोराम्बोके	रेलवे भूमि
35	वंतितादि अग्रहारम	49-8	0.10	0.109	आर. सूखा	डी पट्टा
36	वंतितादि अग्रहारम	50	6.12	0.139	एस.पोराम्बोके	सरकारी भूमि
37	वंतितादि अग्रहारम	65-3	0.40	0.134	आर. सूखा	निजी भूमि
38	वंतितादि अग्रहारम	65-4	0.52	0.195	एस.पोराम्बोके	सरकारी भूमि
39	वंतितादि अग्रहारम	70-5B	0.37	0.060	आर. सूखा	आर. सूखा
40	वंतितादि अग्रहारम	70-13A	0.23	0.16	आर. मनवारी	आर. मनवारी
41	वंतितादि अग्रहारम	70-12B	0.11	0.10	आर. मनवारी	आर. मनवारी
42	वंतितादि अग्रहारम	70-11B	0.09	0.070	आर. मनवारी	आर. मनवारी
43	वंतितादि अग्रहारम	70-10A	0.15	0.070	आर. मनवारी	आर. मनवारी
44	वंतितादि अग्रहारम	70-9A	0.13	0.110	आर. मनवारी	आर. मनवारी
45	वंतितादि अग्रहारम	70-8B	0.08	0.040	आर. सूखा	आर. मनवारी
46	वंतितादि अग्रहारम	71-7B	0.11	0.100	आर. सूखा	ए डब्ल्यू डी
47	वंतितादि अग्रहारम	71-6B	0.10	0.090	आर. सूखा	ए डब्ल्यू डी
48	वंतितादि अग्रहारम	71-5B	0.37	0.200	आर. सूखा	आर. सूखा
49	वंतितादि अग्रहारम	71-16B	0.32	0.120	आर. सूखा	ए डब्ल्यू डी
50	वंतितादि अग्रहारम	71-18B	0.15	0.090	आर. सूखा	ए डब्ल्यू डी
51	वंतितादि अग्रहारम	71-20B	0.18	0.090	आर. सूखा	ए डब्ल्यू डी

52	वंतितादि अग्रहारम	71-22B	0.10	0.020	आर. सूखा	ए डब्ल्यू डी
53	वंतितादि अग्रहारम	71-23A	0.09	0.080	आर. मनवारी	आर. मनवारी
54	वंतितादि अग्रहारम	72-2	0.10	0.100	आर. मनवारी	आर. मनवारी
55	वंतितादि अग्रहारम	72-3	0.13	0.130	आर. मनवारी	आर. मनवारी
		कुल	25.91	6.48		

[फा. सं. CAO/CON/RSP/VSKPROBs/463/20A]

ए.के.सामल, मुख्य इंजीनियर (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS
[EAST COAST RAILWAY (CONSTRUCTION)]
NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 2nd February, 2026

(Notice under section 20A of the Railway Act-1989)

S.O. 466(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (herein after referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of **Special Railway Project**, namely, “**Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML-463 at Km 821/9-11 between Vizianagaram (VZM) – Korukonda (KUK) on Main Line of Waltair Division**” hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of the notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority namely “**Competent Authority for Land Acquisition (CALA) i.e. Joint Collector, Vizianagaram for Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML-463 at Km 821/9-11 between Vizianagaram (VZM) – Korukonda (KUK) on Main Line of Waltair Division**” in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further inquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land attached here with to be acquired with or without structures for Special Railway Project namely “**Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML-463 at Km 821/9-11 between Vizianagaram(VZM) – Korukonda (KUK) on Main Line of Waltair Division**”

Name of the District & State: - Vizianagaram & Andhra Pradesh

Sl.No.	Name/No. of the Village	Survey Number / LPM No	Total Extent as per FCO Ac.cts	Acquired area in Acrs	Classification as per FCo	Type of land
1	2	3	4	5	6	7
1	Vantitadi Agraharam	21-1	0.56	0.074	R.W	Private Land
2	Vantitadi Agraharam	21-5	0.20	0.076	R.W	Private Land
3	Vantitadi Agraharam	21-6	0.31	0.041	R.W	Private Land

4	Vantitadi Agraharam	21-7	0.18	0.042	R.W	Private Land
5	Vantitadi Agraharam	21-8	0.30	0.081	R.W	Private Land
6	Vantitadi Agraharam	21-26	0.44	0.074	R.W	Private Land
7	Vantitadi Agraharam	21-29	0.06	0.048	R.W	Private Land
8	Vantitadi Agraharam	21-30	0.11	0.035	R.W	Private Land
9	Vantitadi Agraharam	21-31	0.44	0.080	R.W	Private Land
10	Vantitadi Agraharam	22-6	0.57	0.073	R.W	Private Land
11	Vantitadi Agraharam	22-9	0.50	0.067	R.W	Private Land
12	Vantitadi Agraharam	23-13	0.27	0.014	R.W	Private Land
13	Vantitadi Agraharam	23-14	0.63	0.022	R.W	Private Land
14	Vantitadi Agraharam	23-15	0.27	0.023	R.W	Private Land
15	Vantitadi Agraharam	27-1	0.39	0.379	R.W	Private Land
16	Vantitadi Agraharam	27-2	0.09	0.075	R.W	Private Land
17	Vantitadi Agraharam	27-3	0.28	0.126	R.W	Private Land
18	Vantitadi Agraharam	27-4	0.42	0.072	R.W	Private Land
19	Vantitadi Agraharam	27-6	0.27	0.072	R.W	Private Land
20	Vantitadi Agraharam	27-7	0.22	0.025	R.W	Private Land
21	Vantitadi Agraharam	26-9	0.15	0.072	R.W	Private Land
22	Vantitadi Agraharam	27-10	0.35	0.207	R.W	Private Land
23	Vantitadi Agraharam	42	3.10	0.238	S.Poramboke	Government Land
24	Vantitadi Agraharam	43-1	0.47	0.508	S.Poramboke	Government Land
25	Vantitadi Agraharam	43-2	0.61	0.036	R.W	Private Land
26	Vantitadi Agraharam	43-4	0.18	0.041	R.W	Private Land
27	Vantitadi Agraharam	43-5	0.50	0.074	R.W	Private Land
28	Vantitadi Agraharam	43-8	0.09	0.063	R.W	Private Land
29	Vantitadi Agraharam	43-9	0.43	0.092	R.W	Private Land
30	Vantitadi Agraharam	45-1	0.80	0.665	S.Poramboke	Government Land
31	Vantitadi Agraharam	45-2	0.20	0.069	R.W	Private Land
32	Vantitadi Agraharam	45-7	0.19	0.104	R.W	Government Land
33	Vantitadi Agraharam	45-11	0.30	0.207	R.W	Private Land
34	Vantitadi Agraharam	47	2.08	0.398	S.Poramboke	Railway Land
35	Vantitadi Agraharam	49-8	0.10	0.109	R.Dry	D PATTA
36	Vantitadi Agraharam	50	6.12	0.139	S.Poramboke	Government Land

37	Vantitadi Agraharam	65-3	0.40	0.134	R.Dry	Private Land
38	Vantitadi Agraharam	65-4	0.52	0.195	S.Poramboke	Government Land
39	Vantitadi Agraharam	70-5B	0.37	0.060	R.Dry	R.Dry
40	Vantitadi Agraharam	70-13A	0.23	0.16	R.Manavari	R.MANAVARI
41	Vantitadi Agraharam	70-12B	0.11	0.10	R.Manavari	R.MANAVARI
42	Vantitadi Agraharam	70-11B	0.09	0.070	R.Manavari	R.MANAVARI
43	Vantitadi Agraharam	70-10A	0.15	0.070	R.Manavari	R.MANAVARI
44	Vantitadi Agraharam	70-9A	0.13	0.110	R.Manavari	R.MANAVARI
45	Vantitadi Agraharam	70-8B	0.08	0.040	R.Dry	R.MANAVARI
46	Vantitadi Agraharam	71-7B	0.11	0.100	R.Dry	AWD
47	Vantitadi Agraharam	71-6B	0.10	0.090	R.Dry	AWD
48	Vantitadi Agraharam	71-5B	0.37	0.200	R.Dry	R.DRY
49	Vantitadi Agraharam	71-16B	0.32	0.120	R.Dry	AWD
50	Vantitadi Agraharam	71-18B	0.15	0.090	R.Dry	AWD
51	Vantitadi Agraharam	71-20B	0.18	0.090	R.Dry	AWD
52	Vantitadi Agraharam	71-22B	0.10	0.020	R.Dry	AWD
53	Vantitadi Agraharam	71-23A	0.09	0.080	R.Manavari	R.MANAVARI
54	Vantitadi Agraharam	72-2	0.10	0.100	R.Manavari	R.MANAVARI
55	Vantitadi Agraharam	72-3	0.13	0.130	R.Manavari	R.MANAVARI
		Total	25.91	6.48		

[F. No. CAO/CON/RSP/VSKPROBs/463/20A]

A.K. SAMAL, Chief Engineer (Construction-II)